प्रेस विज्ञप्ति

06-11-2025

प्रवर्तन निदेशालय (ईडी), भोपाल क्षेत्रीय कार्यालय ने माननीय विशेष न्यायालय (पीएमएलए), भोपाल के समक्ष धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए), 2002 के प्रावधानों के अंतर्गत संजय कुमार इरपाची, श्रीमती अंजलि विश्वकर्मा और करण सिंह जाटव के विरुद्ध दिनांक 25.03.2025 को अभियोजन शिकायत (पीसी) दायर की थी। इस मामले में माननीय न्यायालय ने दिनांक 03.11.2025 को पीसी का संज्ञान लिया है।

ईडी ने सीबीआई, एसीबी, भोपाल द्वारा आईपीसी, 1860 और भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 की विभिन्न धाराओं के तहत संजय कुमार इरपाची और अन्य के खिलाफ दर्ज एफआईआर के आधार पर जांच शुरू की। इसके बाद, सीबीआई ने कई व्यक्तियों के खिलाफ आरोप-पत्र दायर किया।

ईडी की जाँच में पता चला कि सिस्टम मैनेजर के पद पर कार्यरत संजय इरपाची ने तकनीकी सहायता प्रदान करने के बहाने अन्य डाक कर्मचारियों के यूज़र आईडी और पासवर्ड प्राप्त करके फिनेकल और मैककैमिश सिस्टम तक अपनी प्रशासनिक पहुँच का दुरुपयोग किया। इन क्रेडेंशियल्स का उपयोग करके, उसने अपने, अपने रिश्तेदारों और सह-आरोपियों के नाम पर 18 डाक जीवन बीमा (पीएलआई) पॉलिसियों में 42.77 लाख रुपये का प्रीमियम धोखाधड़ी से जमा किया। उसने श्रीमती अंजलि विश्वकर्मा के साथ मिलकर, फर्जी सॉफ्टवेयर प्रविष्टियों के माध्यम से इनमें से सात पीएलआई पॉलिसियों पर ऋण लिया और उन्हें चुकाया। करण सिंह जाटव और श्रीमती अंजलि विश्वकर्मा के साथ साजिश रचकर, उसने डाकघर द्वारा कोई वास्तविक चेक प्राप्त न होने के बावजूद, चेक क्लीयरेंस का झूठा दावा करके अपने और अपने रिश्तेदारों के नाम पर 12 फर्जी सावधि जमा (टीडी) खाते और कई बचत खाते खोले। इन फर्जी खातों के माध्यम से, आरोपियों ने टीडी खातों के माध्यम से लगभग 75.50 लाख रुपये और बचत खातों के माध्यम से 24.35 लाख रुपये की बेईमानी और गबन किया।इस षडयंत्र के कारण कुल 1.50 करोड़ रुपये से अधिक का गबन हुआ, जिससे डाकघर को गलत तरीके से नुकसान हुआ और यह आपराधिक विश्वासघात, धोखाधड़ी, जालसाजी और आधिकारिक पद के दुरुपयोग के बराबर है।

.

संजय कुमार इरपाची ने डाकघर के अधिकारियों के समक्ष अपना अपराध स्वीकार कर लिया और उसके बाद धोखाधड़ी की पूरी राशि डाकघर में जमा कर दी।